प्ररूप 2 (नियम 11 (4) दे खए)

शिक्षा का अधिकार

कार्यालय, जिला शक्षा अ धकारी (REWA), मध्यप्रदेश

दूरभाषः- फैक्सः ई-मेलः

क्रमांकः स्कूल आई.डी. - 14083786/140 दिनांकः- 27/01/2017
प्रति,

प्रबंधक,

(yanasthali Vidyalaya)

वषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -yanasthali Vidyalaya, Sirmour chauraha
Rewa को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालाव ध के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न ल खत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता वस्तारित नही होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता कसी भी रूप में वव क्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वं चत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवे षत बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारं भक शक्षा देगा जिस रूप में उसके वा षक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वा षक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते क जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शक्षा दी जाती है वहां अ धनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्र-स्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निदिष्ट बालकों के लए स्कूल को अ धनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कै पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अ भभावक के साथ कसी छानबीन प्र क्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए वहित की गई वस्तारित कालाव ध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्का सत नहीं कया जाएगा;
  - कसी बालक को शारीरिक या मान सक रूप से प्रता डत नहीं कया जाएगा;
  - प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारं भक शक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अ धनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/वशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
  - अ धनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते क वर्तमान में कार्यरत जो शक्षक इस अ धनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अ धनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अव ध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शक्षकों को अ धनियम की धारा 24(1) के अधीन वनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टी चंग की गति व धयों में शक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समु चत प्रा धकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अ धनियम की धारा 19 में वहित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सु वधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

- स्कूल द्वारा अ धनियम की धारा 19 में वनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सु वधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सु वधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्त वक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन	कराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	90000	90000
10	स्कूल का नि र्मत क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	60000	60000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20000	20000

ङ.	अधोसंरचना का ववरण					
		Rooms as	पोर्टल में दर्ज		वास्त वक स्थिति	
	कक्ष	per RTE	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		38	532	38	532
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		17	400	17	400
3	भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

च.	अन्य सु वधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्त वक स्थिति
1	क्या सभी सु वधाओं तक पहुंच बाधा रहित है: हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	16972	16972
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	19	19
6	पेयजल सु वधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सु वधा की संख्या	16	16
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	Indian
9	लड़कों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	12	12
10	लड़ कयों के लए पृथक शौचालयों की संख्या	17	17
11	वकलांग बच्चों के लए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरी क्षत कए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्या पत होंगे और उ चत लेखा ववरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के ववरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शक्षा अ धकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..14083786.. एवं डाईसकोड (DISE) 23140125006 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संद र्भत कए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शक्षा केन्द्र/जिला शक्षा अ धकारी द्वारा समय-समय पर अपे क्षत की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्रा धकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा क स्कूल के संचालन की क मयों को दूर करने के लए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी कए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण कया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अ धनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शक्षा अ धकारी

जिला REWA मध्यप्रदेश